न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अटरू, जिला बारां, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : शाइस्ता लोधी, आर.जे.एस.

दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 20 / 2025
सीआईएस नम्बर– 06 / 2023

1. श्रीकिशन आयु 63 वर्ष पुत्र देबिया उर्फ देवीलाल,

2. मोहनी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री देबिया उर्फ देवीलाल, निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज.) .....प्रार्थीगण

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशाषी अभियन्ता खण्ड छबड़ा जिला बारां

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता खण्ड अटरू जिला बारां (राज.)

3. के.के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी जर्ये प्रोपराईटर कैलाश शर्मा बारां जिला बारां (राज.)

4. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जिला बारां (राज.)

5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तह. अटरू जिला बारां (राज.)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी.

उपस्थिति :–
1 श्री चन्द्रप्रकाश योगी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री बद्रीलाल नागर, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक :– 25.04.2026**

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 13.03.2023 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. उभयपक्षों की बहस टीआई सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित व सुसंगत विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण न्यायालय को निम्न 3 बिन्दुओं की कसौटी पर करना है:–

(a.) प्रथम दृष्टया मामला

(b.) सुविधा का संतुलन

(c.) अपूरणीय क्षति

3. (a. b. c.) प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:–

प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति, उक्त तीनों बिंदु एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों की पुनरावृति को रोकने के लिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामले के

संदर्भ में सर्वप्रथम प्रार्थीगण अधिवक्ता का यह अभिकथन रहा है कि वाके ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 153 का खसरा न. 328 का रकबा 2.09 है., 335 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 336 का रकबा 0.14 है., खसरा न. 514ध्330 का रकबा 0.16 है. कुल किता 4 का कुल रकबा 2.46 है. आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है जिसके चारों तरफ पत्थर का कोट हो रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी खसरा न. 328, 335, 336, 514/330 को संलग्न मानचित्र में ABCD अंकों से प्रदर्शित किया गया है, संलग्न मानचित्र प्रार्थना पत्र का एक भाग है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण दिशा में होकर अप्रार्थीगण नवीन रोड़ का निर्माण कर रहे हैं जबकि प्रार्थीगण की आराजी पर होकर कभी भी कोई रास्ता नही है और न ही पूर्व में रहा है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी के दक्षिण दिशा में खेत के मध्य होकर अप्रार्थीगण अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से नवीन रोड का निर्माण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण की आराजी में होकर बिना आराजी अधिग्रहित किये एवं बिना मुआवजा दिये अवैधानिक तरीके से रोड का निर्माण करने पर आमादा है और इस हेतु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी पर चुने पत्थर से निशान लगा दिये हैं एवं एक तरफ जेसीबी मशीन से पुरे खेत में मिट्टी खोद दी है। अप्रार्थीगण द्वारा निकाले जा रहे अवैधानिक रोड को संलग्न मानचित्र में ABEF अंकों से प्रदर्शित किया गया है जिसे रुकवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनांक 04/03/2023 को प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित ।ठब्क अंकों से प्रदर्शित आराजी पर गये तब उन्हें अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने वहाँ काम कर रहे कर्मचारीगण से कहा तो उन्होंने फर्म द्वारा कार्य करने की कहा तो प्रार्थीगण ने फर्म के प्रोपराईटर से बात की तो उन्होंने सरकारी काम बताते हुए कार्य करने की कहा। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। यदि अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये और प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी ABCD के ABEF स्थान पर जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक तरीके से रोड निर्माण कर लिया तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर से बेदखल होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है एवं प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा अस्तु प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जर्ये आदेशात्मक अस्थाई

निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी स्थान पर अवैध रोड का निर्माण नहीं करे, प्रार्थीगण को अपनी आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं न्याय का संतुलन प्रथम दृष्टया के प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी वादीगण की आराजी ABCD के ABEF स्थान पर अवैधानिक तरीके से रोड निर्माण नही करे एवं वादीगण को आराजी का शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग–उपभोग करने देवे उसमे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

4. प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.04. 2023 को अमल में लाई गई। दिनांक 12.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 व 5 की ओर से आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र मूल वाद में पेश होने पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 04.04.2023 को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। जिसके खण्डन में अप्रार्थीगण अधिवक्ता का यह अभिवचन रहा है किराजस्थान सरकार द्वारा नियमानुसार निविदा जारी कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अप्रार्थी क्रम 3 को मेरमाचाह सड़क नवीनीकरण निर्माण का ठेका दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्देशानुसार मेरमाचाह सड़क का चौडीकरण व सुदृढीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। उक्त सड़क के निर्माण कार्य में ली जाने वाली जगह राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। परन्तु प्रार्थीगण ने सड़क किनारे की अधिग्रहित भूमि पर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर कोट करके अपने खेत में मिला रखा है। राजस्थान सरकार के स्वामित्व की भूमि पर सड़क निर्माण का वैधानिक अधिकार अप्रार्थीगण को है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 से किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 द्वारा किसी प्रकार का सड़क निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण ने रोड़ के किनारे की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा अप्रार्थी क्रम 5 राजस्थान सरकार भूधारक होने से अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा करवाये जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रूकवाने का वैधानिक अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त नही है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक हित में सड़क

नवीनीकरण निर्माण कार्य जनता की सुविधा के लिए करवाया जा रहा है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा करवाये जा रहे सड़क नवीनीकरण निर्माण कार्य को प्रार्थीगण द्वारा बिना अपने स्वामित्व की आराजी की फैमाइश करवाये ही मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सड़क नवीनीकरण निर्माण कार्य रूकवा दिया गया तो सार्वजनिक हित के कार्य ही सरकार नही करवा पायेगी। जिससे जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

5. प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में उभयपक्षों की बहस सुनी गई व तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया मामले के संदर्भ में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या प्रार्थी ने पत्रावली पर कोई ऐसा सारवान प्रश्न सद्भाविक रूप से न्यायालय के समक्ष उठाया, जिसमें आगे और अनुसंधान या विचारण की आवश्यकता है अर्थात क्या प्रार्थी अपने पक्ष मे सद्भाविक विचारणीय बिंदु स्थापित करने मे सफल रहे है? दूसरे शब्दों मे इस विचारणीय बिंदु मे न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी को विरूद्ध विपक्षी सारवान विधिक अधिकार प्राप्त थे, जिनका कि विपक्षी द्वारा प्रथम दृष्टया उलंघन किया गया? प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः यह तर्क है कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 328, 335, 336, 514/330 पर जो मानचित्र में ए.बी.सी.डी. अंकों से प्रदर्शित है, उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में मार्क ए.बी.ई.एफ. में से नवीन रोड का निर्माण मुआवजा दिए बिना अवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं। इसके खंडन में अप्रार्थीगण ने यह कथन किया है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि में किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि प्रार्थीगण ने रोड के किनारे की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सड़क निर्माण को रुकवाने का वैधानिक अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं है।

6. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष यह प्रकट किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में संलग्न नक्शे के मुताबिक मार्क ए.बी.ई.एफ. में से रोड का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी मौका कमिश्नर बारां प्रार्थीगण की आराजी की दक्षिण दिशा मार्क ए.बी.ई.एफ. की आराजी के अंदर रोड बना हुआ होने का उल्लेख किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी ए.बी.सी.डी. के ए.बी.ई.एफ स्थान पर अवैधानिक तरीके से रोड का निर्माण नहीं

कर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने व उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करने का अप्रार्थीगण के विरुद्ध अनुतोष चाहा है, परंतु पत्रावली पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अभिवचनों व उपलब्ध अभिलेख से यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अस्थ्ज्ञायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र infructuous अर्थात् निरर्थक ाहो चुका है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी मार्क ए.बी.ई.एफ. स्थान पर रोड का निर्माण होने से उक्त सड़क सार्वजनिक रूप से आमजन के उपयोग में आ रही है। इस अवस्था में यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को ऐसी असुविधा व अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है, जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में किया जाना संभव नहीं हो, परंतु प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से सार्वजनिक वित्त को अधिक असुविधा होगी और नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धांत के अनुसार यहां सार्वजनिक व व्यक्तिगत हित में विरोधाभाास हो, वहां सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किए जाते हैं।

7. उपरोक्त विवेचना व विश्लेषण अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की स्वीकृति एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से सड़क निर्माण पूर्ण होने के तथ्य के आधार पर एवं प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किए जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

8. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण 1. श्रीकिशन आयु 63 वर्ष पुत्र देबिया उर्फ देवीलाल, 2. मोहनी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री देबिया उर्फ देवीलाल, निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज.) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी विरुद्ध अप्रार्थीगण 1. सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशाषी अभियन्ता खण्ड छबड़ा जिला बारां 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता खण्ड अटरू जिला बारां (राज.) 3. के. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी जर्ये प्रोपराईटर कैलाश शर्मा बारां जिला बारां (राज.) 4. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जिला बारां (राज.) 5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तह. अटरू जिला बारां (राज.) अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(शाइस्ता लोधी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
अटरू जिला बारां (राज0)

9. आदेश आज दिनांक 25.04.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शाइस्ता लोधी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
अटरू जिला बारां (राज0)